

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 201 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

Supreme Housing Finance Limited जरिये प्राधिकृत अधिकारी Sonu Mehrol
Registered Office:- 2nd Floor, Harsha bhawan, 13/29, E-Block, Middle Cricle,
Connaught Place, New Delhi-110001

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. KOYALI W/O MUMTAJ,
Address 1:- RULYANI, SIKAR, RAJASTHAN-332028
Address 2:- 27, BRAHMANO KA MOHALLA, TEHSIL LAXMANGARH, RULYANI,
SIKAR, RAJASTHAN
2. MUMTAJ S/O JIWAN KHAN,
Address 1:- RULYANI, SIKAR, RAJASTHAN-332028
Address 2:- 27, BRAHMANO KA MOHALLA, TEHSIL LAXMANGARH, RULYANI,
SIKAR, RAJASTHAN
3. MANOJ KHAN S/O MUMTAJ,
Address 1:- RULYANI, SIKAR, RAJASTHAN-332028
Address 2:- 27, BRAHMANO KA MOHALLA, TEHSIL LAXMANGARH, RULYANI,
SIKAR, RAJASTHAN
4. MUKESH S/O MUMTAJ, RULYANI, SIKAR, RAJASTHAN-332028
5. ASHA W/O MUKESH KHAN,
Address 1:- RULYANI, SIKAR, RAJASTHAN-332028
Address 2:- 27, BRAHMANO KA MOHALLA, TEHSIL LAXMANGARH, RULYANI,
SIKAR, RAJASTHAN
6. FIROJ KHAN S/O MUMTAJ,
Address 1:- RULYANI, SIKAR, RAJASTHAN-332028
Address 2:- 27, BRAHMANO KA MOHALLA, TEHSIL LAXMANGARH, RULYANI,
SIKAR, RAJASTHAN

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of
financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 03 नवम्बर, 2025

7. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री त्रिलोक सिंह शेखावत द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार



(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः KOYALI W/O MUMTAJ, MUMTAJ S/O JIWAN KHAN, MANOJ KHAN S/O MUMTAJ, MUKESH S/O MUMTAJ, ASHA W/O MUKESH KHAN एवं FIROJ KHAN S/O MUMTAJ की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति ALL THAT PIECE AND PARCEL OF A PROPERTY PATTA NO. 75, VILLAGE RULYANI, G.P. RULYANI, P.S. & TEHSIL NECHHAWA, DISTRICT SIKAR, RAJASTHAN-332026 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 345 वर्गफुट है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में गट्टू खान की सम्पत्ति, उत्तर दिशा में मोहन खान की सम्पत्ति एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹3,15,000/- (अक्षरे रूपये तीन लाख पन्द्रह हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 22.05.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



1. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
2. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
3. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 22.05.2024 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।


 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः KOYALI W/O MUMTAJ, MUMTAJ S/O JIWAN KHAN, MANOJ KHAN S/O MUMTAJ, MUKESH S/O MUMTAJ, ASHA W/O MUKESH KHAN एवं FIROJ KHAN S/O MUMTAJ की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति ALL THAT PIECE AND PARCEL OF A PROPERTY PATTA NO. 75, VILLAGE RULYANI, G.P. RULYANI, P.S. & TEHSIL NECHHAWA, DISTRICT SIKAR, RAJASTHAN-332026 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 345 वर्गफुट है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में गट्टू खान की सम्पत्ति, उत्तर दिशा में मोहन खान की सम्पत्ति एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

5. आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर